भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3360

12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

रोहतक में शहरी और जल निकासी अवसंरचना

+3360. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारी और लगातार वर्षा के कारण बार-बार आवागमन और दैनिक जीवन बाधित होने के कारण रोहतक में सड़कों, गलियों और अंडरपासों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए रोहतक में जल निकासी अवसंरचना की कमियों, बरसाती जल नेटवर्क की क्षमता और शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नालों से समय पर गाद निकालना, बरसाती जल चैनलों की सफाई सुनिश्चित करने और ठहराव से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए शीघ्र पम्पिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) जलभराव वाले क्षेत्रों में कूड़ा जमा होने की रिपोर्टों को देखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी के रखरखाव के साथ एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का रोहतक की जल निकासी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय शहरी योजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट लक्ष्यों और वित्तपोषण के साथ एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी बाढ़ और स्वच्छता संकटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, राज्य प्राधिकरणों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। इसके अतिरिक्त, शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के दायरे में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। सरकार शहरी नियोजन प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

हरियाणा राज्य ने सूचित किया है कि रोहतक नगर निगम द्वारा रोहतक शहर में सुनारिया गांव से लेकर शुगर मिल एसटीपी तक के क्षेत्र में और रोहतक नगर निगम के एचएसवीपी सेक्टर- 1, 2, 3 और 4 में गंदे वर्षा जल के निपटान के लिए जल निकासी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमियों, तूफानी वर्षा जल नेटवर्क क्षमता और शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में एक आंशिक मूल्यांकन किया गया है।

राज्य ने यह भी सूचित किया है कि रोहतक नगर निगम ने "रोहतक शहर में सुनारिया गांव से शुगर मिल एसटीपी तक विभिन्न आकारों की एचडीपीई जल निकासी लाइन बिछाने और चार तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणालियों के निर्माण" कार्य के लिए 994.32 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया है और साथ ही "गंदे वर्षा जल के निपटान के लिए रोहतक नगर निगम के एचएसवीपी सेक्टर-1, 2, 3 और 4 में पाइपलाइन बिछाने" के लिए 7017.22 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया है"। राज्य सरकार ने दोनों कार्यों के लिए रोहतक नगर निगम को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। रोहतक में नालियों की नियमित सफाई और सड़कों, गलियों और अंडरपासों में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या के समाधान के लिए एक सुपर सकर मशीन भी लगाई गई है। रोहतक नगर निगम ने नालियों की सफाई और वर्षा जल निकासी के लिए 94.00 लाख रुपये की निविदा भी आबंटित की है।

राज्य ने यह भी सूचित किया है कि नालियों के पास वाले कचरा असुरक्षित स्थलों (जीवीपी) पर ठोस कचरे को स्लैब से ढक दिया गया है ताकि कचरा न फेंका जा सके और साथ

ही मैनहोल सहित जाली की व्यवस्था भी की गई है ताकि कचरा वर्षा जल निकासी नाली में न जाए।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शी दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding_5%20May%202017.pdf)

iii. शहरों को प्रकृति-आधारित समाधानों सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए नदी केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश 2021 ।

(https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf)

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शन दस्तावेज़ (https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf)

v. तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणाली पर नियमावली (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-storm-water-drainage-systems--2019.php)

वर्ष 2015 में शुरू किए गए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में अन्य बातों के साथ-साथ, तूफानी वर्षा जल निकासी पर एक घटक शामिल है, जिसमें बाढ़ के खतरों को कम करने और समाप्त करने तथा हरित स्थान और पार्क बनाने के लिए नालियों/तूफानी वर्षा जल निकासी प्रणालियों का निर्माण और सुधार शामिल है। अमृत योजना के तहत, हरियाणा राज्य ने 452.37 करोड़ रुपये की 19 वर्षा जल निकासी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है। हालांकि, राज्य द्वारा रोहतक में कोई वर्षा जल निकासी परियोजना शुरू नहीं की गई है। अमृत योजना के तहत, राज्य द्वारा 42.2 करोड़ रुपये की 33 हरित क्षेत्र

और पार्क परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जिनमें 15.40 एकड़ पारगम्य हरित क्षेत्र शामिल है। इनमें से 0.82 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाएं रोहतक में शुरू की गई हैं।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों द्वारा हरित क्षेत्रों और पार्कों के साथ-साथ जलाशयों के पुनरुद्धार की परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। हालांकि, हरियाणा राज्य ने अमृत 2.0 के अंतर्गत किसी भी जलाशय पुनरुद्धार या हरित क्षेत्रों और पार्क परियोजनाओं को शुरू नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, अमृत और अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षा जल की निकासी में सहायता करती हैं। अमृत पोर्टल पर राज्य द्वारा अद्यतन की गई जानकारी के अनुसार, अमृत के तहत 44 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे 1820.21 किमी लंबाई का सीवर नेटवर्क निर्मित हुआ है, जिसमें रोहतक की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत 2.0 के तहत, राज्य ने 325.82 किमी सीवर नेटवर्क को शामिल करने वाली 17 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 20 किमी सीवर नेटवर्क को शामिल करने वाली रोहतक की 2 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं।

अमृत/अमृत 2.0 के तहत, राज्य को परियोजना का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। मिशन के दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत गठित एक शीर्ष समिति आवधिक रूप से मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है।

*****